4016(E)
23/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 23/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत नाबार्ड योजना अन्तर्गत कॉंटी–रघईघाट पथ के कुल–8.60 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–344(अनु0) दिनांक–28.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	नाबार्ड योजना अन्तर्गत कॉंटी–रघईघाट पथ के कुल–8.60 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13
2.2	एकरारनामा संख्या	:	16 SBD/ 2012-13
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹20,57,98,689.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	11.01.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	10.06.2014
2.7	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	:	25.03.2018
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	25.03.2018

3. **समयवृद्धि का कारण** :–

(i) **माओवादी गतिविधि के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि उनके अन्य कार्यस्थल पर माओवादियों द्वारा दिनांक–03.04.2013 को उनके मशीनरी को जला दिया गया जिसकी लिखित शिकायत दिनांक–04.04.2013 को साहेबगंज थाना, मुजफ्फरपुर को की गई थी। उक्त के कारण मजदुरो में भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण 86 दिनों तक कार्य बाधित रहा।

23.5.19 23.5.19

संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 86 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 70 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(ii) **खदान एवं लीड की स्वीकृति में विलंब के कारण कार्य में बाधा** – योजना के BOQ में शेखपुरा स्टोन से GSB/WMM का प्रावधान था, परन्तु शेखपुरा खदान में Blasting बंद होने के कारण आपूर्ति बाधित हो गया। विभागीय पत्रांक–5390(E) दिनांक–27.08.2013 के आलोक में GSB एवं WMM की सामग्री राज्य एवं राज्य के बाहर निकटतम खदान से आपूर्ति लेने की अनुमति प्रदान की गई।

संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 53 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 53 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iii) **अकार्यवधि के कारण कार्य बाधित होना** – वर्षात के समय वर्षा के कारण कार्य की प्रगति बाधित रहा। संवेदक द्वारा दो अकार्यवधि हेतु कुल–184 (92+92=184) दिनों की माँग की गई, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 98 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iv) **जलापूर्ति पाईप रिसाव के कारण कार्य बाधित** – पथ के चैनेज 0+618 पर PHED विभाग के जलापूर्ति पाईप से रिसाव के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक–561 दिनांक–29.03.2014 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से रिसाव को बंद करने हेतु अनुरोध किया गया।

संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 17 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 17 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(v) **अन्य कारण (बिटुमिन की अनुपलब्धता, इलेक्ट्रिक पोल सिफटिंग इत्यादि)**– योजना के कार्य के दौरान बिटुमिन की अनुपलब्धता बनी रही। साथ ही इलेक्ट्रिक पोल सिफटिंग के कारण शट डाउन ससमय नहीं मिलने के कारण कार्य बाधित रहा।

संवेदक द्वारा इस मद में 100 दिनों का अनुरोध किया गया है जबकि Concurrent अवधि होने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा शून्य दिन की अनुशंसा की गई है।

(vi) **(क) भूमि अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित (CWJC No.-13600 of 2015)** – काँटी–रघईघाट पथ का सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित बाँध जिसकी लंबाई 2.6 कि०मी० थी, इस पथांश में सम्मिलित था। बाँध के एक कि०मी० में स्थानीयों ग्रामीणों द्वारा यह कहकर कार्य को अवरूद्ध कर दिया गया कि बाँध निर्माण के लिए अधिग्रहित किये गए भूमि की मुआवजा की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल के पत्रांक–1814,

दिनांक–18.12.2015 द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से किया गया था। अधीक्षण अभियंता, के पत्रांक–1069 दिनांक–25.09.2013 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, मुजफ्फरपुर से अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी उनके पत्रांक–61 दिनांक–30.01.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को विवादित जमीन की मापी करने के समय पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया था।

(ख) अतिक्रमण के कारण संवेदक द्वारा 635 मी० का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक–1017 दिनांक–19.06.2014 द्वारा संवेदक को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। उक्त पत्र के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या CJWC No.-13600 of 2015 दायर किया गया। उक्त वाद के न्याय निर्णय में निवेशित किया गया कि –

"The Executive Engineer needs to satisfy himself on the issue of 715 meters and in case the 4th layer of the 715 meters is complete as stated by the petitioner then he shall be under an obligation to revoke the debarment order which cannot be allowed to continue on account of non completion of 635 meters which as per the own acceptance of the respondents, is due to local hindrance. Considering the nature of penalty imposed an early decision preferably within 4 weeks from the date of receipt/production of a copy of the order would be appreciated

The writ petition is accordingly disposed of."

"उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता के अनुरोध पर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश सह ज्ञापांक–3136 दिनांक–03.06.2017 द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि –

"उक्त स्थल पर विधि–व्यवस्था संधारित करने हेतु वरीय उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला गोपनीय प्रशाखा, मुजफ्फरपुर, पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी के द्वारा कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसकी विडियोग्राफी कराकर ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाय। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को आदेश दिया जाता है कि अगले तीन चार दिनों में पथ निर्माण हेतु आवयश्क सामग्री उक्त स्थल के समीप एकत्र करवा लें और संवेदक के साथ वार्ता करके उक्त कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न कराने की कार्रवाई करें। संवेदक द्वारा उपरोक्त के कारण 1521 दिनों का समयवृद्धि का अनुरोध किया गया जिसमे कार्यपालक अभियंता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश, जिला पदाधिकारी का आदेश के आलोक में, इस मद में 1146 दिनों की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा योजना की अवधि विस्तार हेतु कुल 1384 दिन अर्थात दिनांक–25.03.2018 तक अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–25.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा जाती है।

5. **विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–**

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–344(अनु0) दिनांक–28.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत नाबार्ड योजना अन्तर्गत काँटी–रघईघाट पथ के कुल–8.60 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 (एकरारनामा संख्या–16 SBD/ 2012-13) हेतु दिनांक–25.03.2018 तक SBD के Clause-10 CA के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थात विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तद्नुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त सह–विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–04–41/2019 4016(E) **पटना, दिनांक** 23/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अचंल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।